F.No.19024/1/2009-E.IV
Government of India
Ministry of Finance
(Department of Expenditure)
....

New Delhi, the 13th July, 2009.

OFFICE MEMORANDUM

Subject : **Air Travel on official account – both domestic and international.**

In partial modification of this Ministry's OM No. F. No. 7(2)/E. Coord/2005 dated 23rd November, 2005 and in supersession of this Ministry's OM No. 19024/1/E.IV/2005 dated 24.3.2006, it has been decided that in all cases of air travel, both domestic and international ,where the Government of India bears the cost of air passage, the officials concerned may travel only by **Air India**.

2. For travel to stations not connected by Air India, the officials may travel by Air India to the hub/point closest to their eventual destination, beyond which they may utilise the services of another airline which should also preferably be an alliance partner of Air India.

3. In all cases of deviation from these orders because of operational or other reasons or on account of non-availability, individual cases may be referred to the Ministry of Civil Aviation for relaxation.

4. All Ministries/Departments of the Government of India are requested to strictly adhere to these instructions.

5. These orders will also apply to officials in autonomous bodies funded by Government of India.

(Y.P. Sehgal)
Deputy Secretary to the Govt. of India.

To

1. All Ministries/Departments of the Government of India, etc..
2. All Financial Advisers.
3. All Heads of Public Sector Enterprises.

फा. स. 19024/1/2009-संस्था-IV

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 13 जुलाई, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषयः- सरकारी खाते से स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की हवाई यात्रा के संबंध में।

इस मंत्रालय के दिनांक 23 नवम्बर, 2005 के का.ज्ञा. सं. 7(2)/संस्था-समन्वय/2005 में आंशिक आशोधन तथा इसी मंत्रालय के दिनांक 24.03.2006 के का.ज्ञां. सं. 19024/1/संस्था-IV/2005 का अतिक्रमण करते हुए, निर्णय लिया गया है कि स्वदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार की हवाई यात्रा के ऐसे सभी मामलों में, जिनमें हवाई मार्ग की लागत भारत सरकार वहन करती है, संबंधित अधिकारी केवल एअर इण्डिया द्वारा ही यात्रा कर सकते हैं।

2. ऐसे स्टेशनों, जो एअर इण्डिया से जुड़े हुए नहीं हैं, की यात्रा करने के लिए अधिकारी अपने अंतिम गंतव्य-स्टेशन के निकटतम हब/बिन्दु तक एअर इण्डिया द्वारा यात्रा करें तथा उसके आगे किसी अन्य एअरलाइन की सेवाएं ले सकते हैं, लेकिन यह एअरलाइन भी अधिमानतः एअर इण्डिया की मैत्री एअरलाइन (एलाइन्स पार्टनर) होनी चाहिए।

3. प्रचालनगत अथवा किसी अन्य कारण अथवा अनुपलब्धता के कारण इन आदेशों से विचलन के सभी मामलों में, वैयक्तिक मामले छूट हेतु नागर विमानन मंत्रालय के पास भेजे जाएं।

4. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि इन अनुदेशों का सख्ती से पालन करें।

5. ये आदेश भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्तशासी निकायों के अधिकारियों पर भी लागू होंगे।

(वाई.पी. सहगल)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग, आदि।
2. सभी वित्तीय सलाहकार।
3. सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों के प्रमुख।

चन्दन/my document/E.IV/25